8

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2023/43

1. भूली बाई विधवा गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।
2. मोहिनी पुत्री गोपाल पत्नी हीरालाल जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील व जिला बून्दी राज0।
3. काली बाई पुत्री गोपाल पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।
4. तेजमल पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।
5. लीला बाई विधवा कालू लाल जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।
6. प्रियंका पुत्री कालूलाल जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0 नाबालिग जर्ये नैसर्गिक संरक्षक माता श्रीमती लीला बाई विधवा कालूलाल जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।
7. पूजा पुत्री कालूलाल जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0 नाबालिग जर्ये नैसर्गिक संरक्षक माता लीला बाई विधवा कालू लाल जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।
8. गिरिराज पुत्र कालूलाल जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।
9. तीजू बाई पुत्री गोपाल पत्नी महावीर जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।
10. मोहन लाल पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।
11. मदनलाल पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।

——अपीलान्टगण

बनाम

1. कल्याण आत्मज रामनाथ जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0 मृतक के कायम मुकाम एंव उत्तराधिकारी–
   1/1 यशोदा बाई पत्नी नरेन्द्र पुत्री कल्याण जाति जाट निवासी ग्राम बिशनपुरा तहसील एवं जिला बून्दी राज0।
2. ओंकार आत्मज सूरजमल जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।
3. गोविन्द आत्मज सूरजमल जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।

<u>अपील संख्या 2023/43</u>

<u>भूली बाई वगै0 बनाम कल्याण वगै0</u>

4. रामजानकी पुत्री सूरजमल पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी ग्राम हट्टीपुरा तहसील एवं जिला बून्दी राज0।
5. रामकरण आत्मज रामनाथ जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0 मृतक के कायम मुकाम एवं उत्तराधिकारी—

   5/1 हुकमचन्द आत्मज रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।

   5/2 बिलाश बाई पत्नी रामराज पुत्री रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम खनखेड़ा तहसील एवं जिला बून्दी राज0।

   5/3 कमलेश पत्नी हेमराज पुत्री रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम मालकपुरा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज.।

   5/4 धनुका पत्नी लोकेश पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम दीपपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज.

   5/5 देवीशंकर आत्मज रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज. मृतक के कायम मुकाम एवं उत्तराधिकारी

   5/5/1 सन्तोष बाई पत्नी देवीशंकर जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।

   5/5/2 अनसुया पुत्री देवीशंकर जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0 नाबालिग जर्ये स्वाभाविक संरक्षक माता सन्तोष बाई पत्नी देवीशंकर जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।

   5/5/3 कृष्णा पुत्री देवीशंकर जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0 नाबालिग जर्ये स्वाभाविक संरक्षक माता सन्तोष बाई पत्नी देवीशंकर जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।

   5/5/4 दिलखुश पुत्र देवीशंकर जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0 नाबालिग जर्ये स्वाभाविक संरक्षक माता सन्तोष बाई पत्नी देवीशंकर जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।

   5/5/5 नीरज पुत्र देवीशंकर जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0 नाबालिग जर्ये स्वाभाविक संरक्षक माता सन्तोष बाई पत्नी देवीशंकर जाति जाट निवासी ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।
6. भंवरलाल पुत्र खाना जाति जाट निवासी ग्राम जलोदी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।
7. [illegible] पुत्री खाना पत्नी रेखलाल जाति जाट निवासी ग्राम सरस्वती का खेड़ा तहसील व जिला बून्दी राज0
8. बसन्ती पुत्री खाना जाति जाट निवासी ग्राम अस्तोली तहसील एवं जिला बून्दी राज0।
9. मन्जू पुत्री खाना पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम रामनगर जाटान तहसील व जिला बून्दी राज0।
10. राजेश पुत्री खाना पत्नी लक्ष्मण जाति जाट निवासी ग्राम जलोदी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।
11. कान्ती बाई पत्नी बद्रीलाल जाति जाट निवासी ग्राम अस्तोली तहसील व जिला बून्दी राज0
12. भोलाशंकर पुत्र बद्रीलाल जाति जाट निवासी ग्राम अस्तोली तहसील व जिला बून्दी राज0
13. राजेन्द्र पुत्र बद्रीलाल जाति जाट निवासी ग्राम अस्तोली तहसील व जिला बून्दी राज0।

14. लोकेश पुत्र बद्रीलाल जाति जाट निवासी ग्राम अस्तोली तहसील व जिला बून्दी राज0।
15. कल्याणी पुत्री रामनाथ पत्नी रघुनाथ जाति जाट निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील अन्ता जिला बारां राज0।
16. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेड़ जिला बून्दी राज0।

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :—1. श्री कमलेश त्रिपाठी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पो0 कम 2 की ओर से।
3. श्री कुलदीप सिंह गौड़, अभिभाषक, रेस्पो कम 2 से 4 की ओर से।
4. श्री प्रमोद सेन, अभिभाषक रेस्पो. कम 1/1, 5/1 लगा. 5/5/5 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 31.01.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 114/2007 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से एक वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम ठीकररिया कला पटवार क्षेत्र बड़ून्दा तह० एव जिला बून्दी में केवट खतोनी स० नई—332, पुरानी—310 की आराजी ख०स० 12 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, ख०स० 23/1 रकबा 17 बिस्वा, ख०स० 24/1 रकबा 17 बिस्वा किस्म बंजर, ख०स० 544 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, ख०स० 703/1 रकबा 4 बिस्वा, ख०स० 702 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख०स० 773 रकबा 15 बिस्वा, ख०स० 774/1 रकबा 1 बिस्वा, ख०स० 776 मि० रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, ख०स० 802 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, ख०स० 925 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, ख०स० 948/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, ख०स० 1074 मिन रकबा 10 बिस्वा कुल किता 13 कुल रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजी में से प्रतिवादी 4 लगायत 5 अपने हिस्से का त्याग वादी के पक्ष में कर चुकी है। इसी प्रकार ग्राम ठीकरिया कला पटवार क्षेत्र बड़ून्दा तह० एवं जिला बून्दी की आराजी ख०स० 22/2 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, ख०स० 776/1 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा, ख०स० 1073 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 22 बीघा 7 बिस्वा स्थित है तथा आराजी खेवट खतोनी स० नयी 54, पुरानी 50 की आराजी स0 11/1 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, ख०स० 22/1 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, ख०स० 948 मि० रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, ख०स० 949 मि० रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा किता 4 कुल रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा एवं खेवट खतोनी स० नयी 17, पुरानी 14 की आराजी ख०स० 11 मि० रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा, ख०स० 22 मि० रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, ख०स० 23 मि० रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, ख०स० 926 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा किता 4 कुल रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा ग्राम ठिकरिया कला पटवार हल्का

11

अपील संख्या 2023/43

भूली बाई वगै0 बनाम कल्याण वगै0

बड़ून्दा तह० एवं जिला बून्दी में विस्थित है तथा खेवट खतोनी स० नयी 275, पुरानी 274 की आराजी ख०स० 240 रकबा 25 बीघा 19 बिस्वा किता 1 रकबा 25 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम बड़ून्दा तथा खेवट खतोनी स० नयी 333, पुरानी 331 की आराजी ख०स० 920/1 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, ख०स० 949/1 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा ग्राम ठिकरिया कला पटवार हल्का बड़ून्दा तह० एवं जिला बून्दी में विस्थित है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के संयुक्त आधिपत्य एव कब्जे काश्त की रही है तथा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 द्वारा वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात को संयुक्त परिवार की आय से बसाया गया है। वादी व प्रतिवादीगण अविभक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण ने काश्त व्यवस्था हेतु याद–पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजी को पृथक–पृथक भागों में विभाजित किया हुआ है जिसके अनुसार वादी के कब्जे काश्त में कृषि भूमि वाद–पत्र की चरण क्रम 1 व 2 में वर्णित भूमि में से ख०स० 12 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा में से 12 बिस्वा, ख०स० 240 रकबा 25 बीघा 19 बिस्वा में से 10 बीघा 10 बिस्वा, ख०स० 920/1 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, ख०स० 926 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, ख०स० 11 मिन रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा, ख०स० 925 रकबा 2बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 29 बीघा 5 बिस्वा भूमि चली आ रही है, इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम–1 के हिस्से में कृषि भूमि ख०स० 240 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा, ख०स० 948/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, ख०स० 948 मि० रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, ख०स० 949 मिन रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, ख०स० 949/1 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, ख०स० 702 रकबा 1 बीघा कुल रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा एवं प्रतिवादी क्रम–2 के कब्जे में कृषि भूमि ख०स० 11/1 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, ख०स० 22/1 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, ख०स० 12 रकबा 13 बिस्वा, ख०स० 544 रकबा 15 बिस्वा, ख०स० 773 रकबा 15 बिस्वा, ख०स० 744/1 रकबा 1 बिस्वा, ख०स० 776 मिन रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, ख०स० 22 मिन रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, ख०स० 23 मिन रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, ख०स० 23/1 रकबा 11 बिस्वा, ख०स० 24/1 रकबा 17 बिस्वा कुल रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा तथा प्रतिवादी क्रम–3 के कब्जे काश्त में कृषि भूमि ख०स० 22/2 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, ख०स० 776/1 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा, ख०स० माणि 1073 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, ख०स० 544 रकबा 16 बिस्वा, ख०स० 703/1 रकबा 4 बिस्वा, ख०स० 702 रकबा 12 बिस्वा, ख०स० 802 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, ख०स० 1074 मि० रकबा 10 बिस्वा कुल रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा चली आ रही है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 3 ने विवादित आराजी को काश्त हेतु अलग–अलग भागों में विभक्त किया हुआ है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत विमाजन नही होने से राजस्व अदा करने तथा उपरोक्त वर्णित आराजीयात का उपयोग उपभोग करने ऋण प्राप्त करने में असुविधा होती है। वादी द्वारा दिनांक 14.09.2004 को वाद–पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजी को मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन करने के लिये प्रतिवादीगण से कहा तो प्रतिवादीगण ने उक्त वर्णित आराजीयात का विभाजन करने से मना कर दिया इसलिये वादी को अधिकार प्राप्त है कि यह वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजीयात को विधिवत विभाजन करवाकर पृथक–पृथक खाते इन्द्राज करवाये। वाद कारण दिनाक 14.09.2004 को प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजीयात को हिस्से व कब्जेनुसार विमाजन करने से कतई मना कर देने से निरन्तरण उत्पन्न होता रहा है। राज्य कार लेण्ड होल्डर होने से वाद

में राजस्व का वितरण होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादे वादी स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की डिक्री सादर पारित फरमाई जावेः वाद–पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजीयात का वाद–पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजीयात का वाद–पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित कब्जे व हिस्से अनुसार पृथक–पृथक रूप से विभाजन किया जावे तथा तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज फरमाया जावें तथा उक्त हिस्सा अनुसार ही राजस्व का वितरण किया जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2013 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2013 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2013 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, 5/1 लगायत 5/5/5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 16 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय एव प्राथमिक डिक्री की अपील रेस्पोडेंट संख्या 1 कल्याण द्वारा माननीय न्यायालय में दिनांक 03–06–2014 को प्रस्तुत की थी जिसमें अपीलांटगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित थे। अपील के विचारण के दौरान पक्षकारान में राजीनामा हो जाने से पक्षकारान द्वारा मूल वाद में दिनांक 09–08–2018 को राजीनामा प्रस्तुत कर दिया। पश्चात राजीनामें की पालना नहीं करने पर अपीलांटगण ने राजीनामा दिनांक 09–08–2018 की पालना सुनिश्चित करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी/टी. ए/1496/2021/ बून्दी बउनवान भूली बाई बनाम कल्याण आगामी तारीख पेशी दिनांक 24–02–2023 नियत है। इसी दौरान रेस्पोडेण्ट संख्या 2, 3, 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 188 आर.टी.एक्ट में एक वाद औंकार बनाम तेजमल पेश किया। अपीलांटगण द्वारा उक्त वाद पत्र में जवाब दावा प्रस्तुत करके उक्त वाद को रोकने बाबत धारा 10 जा०दी० का प्रार्थना पत्र दिनांक 23–12–2022 को पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब औंकार वगैरह द्वारा पेश किया तथा जवाब में अंकित किया कि निर्णय दिनांक 18–06–2013

एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 14 10–2013 के विरूद्ध कोई अपील विचाराधीन नहीं है। इस पर अपीलांटगण ने माननीय न्यायालय में विचराधीन अपील बउनवान कल्याण बनाम सूरजमल अपील संख्या 163/2014 की जानकारी की तो पता चला कि उक्त अपील अपीलान्ट कल्याण द्वारा दिनांक 11–01–2018 को नोट प्रेस में खारिज करवा ली। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय बून्दी द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिकी डिकी पारित की थी। पश्चात उक्त पत्रावली सुनवाई हेतु नवसृजित न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय तालेडा में अन्तरित कर दी। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की तलाश अधीनस्थ न्यायालय में की तो जानकारी में आया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वर्तमान में अपीलांटगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश कर रखी निगरानी के साथ संलग्न है। इस पर निर्णय दिनांक 18–06–2013 एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 14–10–2013 की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने हेतु दिनांक 18–01–2023 को आवेदन पत्र पेश किया। नकल दिनांक 19–01–2023 को प्राप्त हुई। जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश है फिर भी किसी कारणवश अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब माना जावे तो उक्त विलम्ब को माफ कर अपील का गुणावगुणों के आधार पर सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अगर उक्त अवधि को गुजरा नहीं किया गया तो अपीलान्ट्स को भारी अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नहीं होगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील पेश करने में हुये विलम्ब को माफ कर अपील का गुणावगुणों के आधार पर निर्णय पारित करने का आदेश प्रदान करने का कष्ट फरमावे ।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय एवं प्राथमिकी डिकी कानूनी प्रावधानों, तथ्यों, परिस्थितियों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा वाद का समर्थन करने एवं वाद में वर्णित आराजीयात का मौके पर काबिज स्थिति अनुसार बंटवारा करने में सहमति देने के बावजूद भी केवल जमाबंदी सम्वत 2059 से 2062 ग्राम ठीकरिया कला तहसील तालेडा जिला बून्दी के खेवट खतौनी संख्या नई 332 पुरानी 310 की भूमि को ही पैतृक होना मानने में भारी कानूनी त्रुटि की है। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 5 द्वारा वाद के समर्थन में इकबाली जवाब दावा पेश किया था, जब परिवार में 6 भाई बहिनों में से 5 सदस्य एक ही तथ्य का समर्थन करे एवं एक सदस्य विपरीत कथन करे तो उसकी बात पर विश्वास न किया जाकर 5 सदस्यों की बात पर विश्वास किया जाना चाहिऐ जब सम्पूर्ण भूमि पैतृक है। तथा कुछ भूमि पैतृक भूमि की आय से परिवार का कर्ता खानदान होने से रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 4 के पिता सूरजमल के नाम खरीद की थी। जबकि उक्त भूमि पैतृक भूमि की आय से खरीदने के तथ्य साबित होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त प्रकार से निर्णय एवं प्राथमिकी डिकी पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। इस कारण उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिकी निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में तनकियात का विवरण अकित नहीं किया है तथा निर्णय में मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विवेचन नहीं किया है इस कारण उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिकी निरस्त होने योग्य है। वादी द्वारा पेश मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य का बिन्दूवार विवेचन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी में नहीं किया गया है इस कारण उक्त निर्णय एवं प्राथमिक

डिकी निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट कल्याणी एवं सरजू द्वारा निष्पादित रीलीज डीड बाबत अस्पष्ट आदेश पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है इस कारण उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिकी निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पैतृक होना मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है तथा मौके पर पक्षकारान आपसी सहमति से अपने पूर्वजों के समय से हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा फसल प्राप्त करते चले आ रहे है खातेदारान का कब्जा काश्त पूर्णतया प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित होते हुऐ भी इसके विपरीत मानकर तथा इस तथ्य पर गौर नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित करने में भारी कानूनी भूल की है इस कारण उक्त निर्णय एवं डिकी निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में प्राथमिक डिकी पारित होने के पश्चात बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने से पूर्व ही पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया था एवं पक्षकारान ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामा अनुसार भूमि का आपसी सहमति से मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा कर लिया था तथा बंटवारे की पालना भी कर ली थी। राजीनामा बंटवारा अनुसार अपीलांट वर्तमान में ग्राम बडून्दा के खसरा संख्या 240 में से 7 बीघा 01 बिस्वा, ग्राम ठीकरिया कला के खसरा संख्या 1517/949 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 1289/11 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 12 में से 14 बिस्वा, खसरा संख्या 777 में से 8 बिस्वा, खसरा संख्या 1468/776 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 1516/948 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 28 बीघा 12 बिस्वा पर काबिज है तथा रेस्पोडेण्टगण भी राजीनामा दिनांक 09–08–2018 अनुसार ही भूमियों पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा फसल प्राप्त करते चले आ रहे है। पश्चात एक पक्षकार द्वारा राजीनामें की पालना नहीं करने के कारण अपीलान्ट्स द्वारा राजीनामे की पालना करवाने के लिऐ रेस्पोडेण्टगण के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश कर रखी है जो वर्तमान में विचाराधीन है तथा आगामी तारीख पेशी 24–02–2023 नियत है। राजीनामें की पालना पक्षकारान द्वारा नहीं करने से वाद की परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया है इस कारण वाद की पुन सुनवाई करने एवं साक्ष्य पेश करने हेतु अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में पक्षकारान द्वारा पेश वाद, प्रतिवाद पत्र, तनकीयात, मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य का बिन्दूवार विवेचन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एव डिकी प्रदान करने में विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों व निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं करके सरसरी तरीके से अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी प्रदान करने में भारी कानूनी त्रुटि की है। उक्त निर्णय व डिकी प्रथम दृष्टया ही न्यायिक निर्णय प्रतित न होकर एक प्रशासनिक आदेश प्रकट होता है जो आनन फानन में सरसरी तौर पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाऐ पारित करने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी, निर्णय की परिभाषा में नहीं आते है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी निरस्तनीय है। अन्य वजुहात श्रीमान की अनुमति से वक्त बहस निवेदन किये जावेगे। उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिकी की अपील रेस्पोडेण्ट संख्या 1 कल्याण द्वारा माननीय न्यायालय में दिनांक 03–06–2014 को प्रस्तुत की थी जिसमें अपीलांटगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित थे। अपील के विचारण के दौरान पक्षकारान में राजीनामा हो जाने से पक्षकारान द्वारा मूल वाद में दिनांक 09–08–2018 को राजीनामा प्रस्तुत कर दिया। पश्चात

राजीनामें की पालना नहीं करने पर अपीलान्ट्स ने राजीनामा दिनांक 09–08–2018 की पालना सुनिश्चित करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी/टी. ए/1496/2021/बून्दी बउनवान भूली बाई बनाम कल्याण आगामी तारीख पेशी दिनांक 24–02–2023 नियत है, पेश की इसी दौरान रेस्पोडेण्ट संख्या 2, 3, 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 188 आर.टी.एक्ट में एक वाद औंकार बनाम तेजमल पेश किया। अपीलांटगण द्वारा उक्त वाद पत्र में जवाब दावा प्रस्तुत करके उक्त वाद को रोकने बाबत धारा जा०दी० का प्रार्थना पत्र दिनांक 23–12–2022 को पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब औंकार वगैरह द्वारा पेश किया तथा जवाब में अंकित किया कि निर्णय दिनांक 18–06–2013 एवं प्राथमिक डिकी दिनाक 14–10–2013 के विरूद्ध कोई अपील विचाराधीन नहीं है। इस पर अपीलांटगण ने माननीय न्यायालय में विचाराधीन अपील बउनवान कल्याण बनाम सूरजमल अपील संख्या 163/2014 की जानकारी की तो पता चला कि उक्त अपील अपीलान्ट कल्याण द्वारा दिनांक 11–01–2018 को नोटप्रेस में खारिज 'करवा ली। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय बून्दी द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिकी डिकी पारित की थी। पश्चात उक्त पत्रावली सुनवाई हेतु नवसृजित न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय तालेडा में अन्तरित कर दी। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की तलाश अधीनस्थ न्यायालय में की तो जानकारी में आया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वर्तमान में अपीलांटगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश कर रखी निगरानी के साथ संलग्न है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–06–2013 एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 14–10–2013 निरस्त फरमाई जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर कायम तनकीयात का तनकीवार विवेचन करते हुये सम्पूर्ण दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर तनकीवार बिन्दूवार निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में जो राजीनामा प्रस्तुत किया गया है, उक्त राजीनामा गैर कानूनी रूप से पेश किया गया है। रेस्पोडेन्टगण को राजीनामे की शर्तो के बारे में किसी प्रकार की जानकारी व सूचना नहीं दी गई है। अपीलांटगण के द्वारा चालाकी पूर्वक प्रश्गनत राजीनामा तैयार करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रश्नगत राजीनामे के विरूद्ध आपत्ति प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत किया गया। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 सूरजमल बड़ा भाई होने के नाते उसके नाम से हमारे पिता रामनाथ द्वारा खरीद की गई थी। सभी भाईयों द्वारा भी उक्त आराजी पिता द्वारा खरीद किया जाना बताया गया है। अतः वादग्रस्त आराजी पर रामनाथ के समस्त पुत्रों का समान रूप से हक अधिकार निहित है तथा उसी अनुसार वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाना विधि सम्मत है। रेस्पोडेन्ट कल्याण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय के समक्ष निर्णय दिनांक 18.06.2013 एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 14.10.2013 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 11.01.2028 को नोट प्रेस में खारिज करवा ली गई है। राजस्व मण्डल अजमेर में राजीनामा दिनांक 09.08.2018 की पालना सुनिश्चित करने हेतु निगरानी सख्या 1496/2021 प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त निगरानी अपीलान्ट भूली बाई ने राजीनामे की पालना सुनिश्चित किये जाने को लेकर न की जाकर

16

अपील संख्या 2023/43

भूली बाई वगै० बनाम कल्याण वगै०

माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 20.01.2022 को राजीनामा दिनाक 09.08. 2018 को खारिज किये जाने के विरूद्व पेश की गई है। रेस्पोडेन्ट औंकार वगैरा द्वारा जवाब धारा 10 जा०दी० का प्रस्तुत किया जाने पर अपीलान्ट को अपील संख्या 163/2014 की जानकारी होने एवं माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय बूदी के निर्णय दिनांक 18.06.2013 एवं डिकी दिनांक 14.10.2013 की जानकारी एवं अपील विचाराधीन नही होने के तथ्य अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 में गलत रूप से अंकित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी महोदय बूंदी द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी पारित किये जाने के बाद पत्रावली को सुनवाई हेतु नव सृजित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय तालेडा में अन्तरित की गई। चूंकि माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा पत्रावली अन्तरित करने से पूर्व वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को सूचित किया गया था एवं सक्षम न्यायालय में उपस्थित होने हेतु तारीख पेशी भी नियत की गई थी। उक्त कारण से पत्रावली का तलाश किया जाना, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी के साथ संलग्न होने के तथ्य की अपीलान्ट को जानकारी नही होने का कथन गलत अंकित किया गया है। अपीलान्ट को निर्णय दिनांक 18.06.2013 एवं प्राथमिक डिकी दिनाक 14.10.2013 की प्रारंभ से ही जानकारी रही है। प्रार्थी/ अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनाक 18.06.2013 एव प्राथमिक डिकी दिनाक 14.10.2013 की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है। इसके बावजूद भी मनगढन्त तथ्यों एवं न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही जानकारी होने से किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होने कोई संभावना नहीं है। इस कारण से प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट / प्रार्थी के द्वारा प्रारम्भ से ही निर्णय व डिकी की जानकारी होने के उपरान्त भी माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत नही की गई है। इस कारण से अपील मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट / प्रार्थी को प्रारम्भ से ही निर्णय व डिकी की जानकारी रही है. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट कल्याण ने अपील संख्या 163/2014 मे पक्षकार बनाया था। अपील का विचारण लगभ 4 वर्ष तक न्यायालय श्रीमान के समक्ष रहा है। इस कारण भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। उक्त चार वर्ष की अवधि मुजरा किये जाने बाबत कोई तथ्य अपीलान्ट / प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अकित नहीं किये गये है। अपीलान्ट के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी सख्या 1496/2021 को दिनांक 09.03.2021 को प्रस्तुत की गई थी, उक्त निगरानी में अपीलान्ट के द्वारा निर्णय दिनांक 18.06.2013 व प्राथमिक डिकी दिनांक 14.10.2013 एवं राजीनामा दिनांक 09.08.2018 अधीनस्थ न्यायालय, आदेशिका दिनांक 22.01.2020 के तथ्यों को पूर्ण रूप से अंकित किया हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही अपील मे वर्णित तथ्यों के बारे में पूर्ण जानकारी थी। इस कारण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष 02.02.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अपीलान्ट ने प्राथमिक डिकी दिनांक 14.10.2013 की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 18.01.2023 व नकल प्राप्ति दिनांक 19.01.2023 को होना बताया है। जबकि उक्त के सम्बन्ध में अपीलान्ट को निगरानी के समय ही जानकारी हो गई थी, फिर भी जानबूझकर न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से उक्त अपील लगभग 2 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। जो मियाद बाहर होने से खारिज किये

जाने योग्य है। अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करते समय जानकारी से प्रत्येक दिन का विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित किया जाना था। अपीलान्ट द्वारा निगरानी मार्च 2021 में प्रस्तुत किये जाने एवं अपील फरवरी 2023 में प्रस्तुत किये जाने के दौरान 2 वर्ष की अवधि के अन्तराल के बाबत कोई कथन धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे अंकित नही किये गये है और न ही स्पष्ट किये गये है इस तरह अपीलान्ट की अपील पूर्ण रूप से अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2013 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2013 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, 5/1 लगायत 5/5/5 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि हमें प्रश्नगत राजीनामें में अंकित तथ्यों के बारे में किसी प्रकार की कोई सूचना एवं जानकारी नहीं दी गई है। राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक भी नहीं किया गया है। अपीलांटगण द्वारा धोखधड़ी पूर्व प्रश्नगत राजीनामा तैयार करवाया गया है। हमारी ओर से अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामे के विरूद्ध आपत्ति भी प्रस्तुत की गई है। उक्त राजीनामें के आधार पर किसी प्रकार का निर्णय किया जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2013 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2013 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

10. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्षकारान की ओर से दिनांक 09.08.2018 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि प्रश्नगत राजीनामा

अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रश्नगत राजीनामा दिनांक 09.08.2018 के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत राजीनामा दिनांक 09.08.2018 पर उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर दिनांक 22.01.2020 को प्रस्तुत राजीनामे को खारिज किए जाने का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी संख्या 1496/2021 आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर उक्त राजीनामा दिलांक 09.08.2018 के कम में उभयपक्षकारान की सहमति/असहमति लेकर तदनुसार कार्यवाही करने के उपरांत नियमानुसार प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित किए जाने हेतु आदेशित किया गया है। अतः हमारे मत में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की निगरानी संख्या 1946/2021 में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2024 में अंकित निर्देशों की पालना करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 18.06.2013 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की निगरानी संख्या 1946/2021 में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2024 में अंकित निर्देशों की पालना करते हुए नवीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 12.03.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।
13. निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/1/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा